रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 1987/भाद्र 10, 1909
No. 443] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 1987/BHADRA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1987

आदेश

का.आ. 806 (अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि विकलांग नियंत्रक जुगत से आसंजित यात्रीकार का साम्यपूर्ण वितरण और उचित कीमत पर उपलब्धि सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(1) इस आदेश का नाम विकलांग नियंत्रक जुगत से आसंजित यात्रीकार (पुनः विक्रय पर निर्बन्धन) आदेश, 1987 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह 1 सितम्बर, 1987 को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं : इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "नियंत्रक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने इस आदेश के प्रयोजन के लिए ऐसी हैसियत से नियुक्त किया हो ।

(2) "विकलांग नियंत्रक जुगत" से ऐसे स्वतः संचरण और जुगत अभिप्रेत है जो निःशक्त व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हो और जिन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अधीन किसी सामान्य या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा शुल्क से जिसके अन्तर्गत प्रतिरिक्त शुल्क भी आता है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क से छूट हो ।

(3) विकलांग नियंत्रक जुगत से आसंजित यात्रीकार से अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी भांति का ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण या समंजन भारत में हुआ हो या जिसका विनिर्माण भारत में आयातित संघटकों से हुआ हो या जिसका विनिर्माण भारत में भागतः आयातित

और" भागतः विनिर्मित संघटकों से हुआ हो और उसके अंतर्गत ऐसी प्रत्येक भांति का मोटरयान या उसके संघटक भी है।

(4) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(5) संघ शासित क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार का तात्पर्य संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक है।

3. पुनः विक्रय पर निर्बंधन

(1) इस आदेश के प्रारंभ से ही कोई भी व्यक्ति उस तारीख से तीन वर्ष के अवसान से पूर्व, जिस तारीख को विकलांग नियंत्रक जुगत से आसंजित यानीकार पहली बार खरीदी गई थी, भले ही उसे उसने खरीदा हो या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने खरीदा हो और भले ही उसे इस आदेश से पूर्व या उसके प्रारम्भ के पश्चात खरीदा गया हो, सिवाय ऐसे नियंत्रक से लिखित रूप में दिए गए अनुज्ञा पत्र के निर्बंधनों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, जो ऐसी स्थिति में जब अनुज्ञा पत्र न दिया जाए संबद्ध व्यक्ति को ऐसे इनकार के कारणों से संसूचित करेगा, न तो उसे किसी व्यक्ति को बेचेगा और न ही बेचने की प्रस्थापना करेगा और न ही कोई ऐसा संव्यवहार करेगा जिसमें विकलांग नियंत्रक जुगत से आसंजित यानीकार का अंतरण अंतर्वलित हो।

(2) नियंत्रक उपखंड (1) के अधीन अनुज्ञा पत्र देने या इनकार करते समय यथास्थिति प्रस्तावित विक्रय या संव्यवहार से संबंधित परिस्थितियों और इस आदेश के प्रयोजन को ध्यान में रखेगा।

(3) नियंत्रक के उपखंड (1) के अधीन अनुज्ञा पत्र देने से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिस तारीख को ऐसे इनकार की कोई संसूचना दी गई है राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

परन्तु राज्य सरकार तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उपर्युक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(4) जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति : यदि नियंत्रक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि विकलांग नियंत्रक जुगत से आसंजित यानीकार खंड 3 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व बेच दी गई है या उसका कब्जा अंतरित कर दिया गया है तो वह उस व्यक्ति से जिसने उसे इस प्रकार बेचा है या अंतरित किया है यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी विशिष्टियां दे जो ऐसे विक्रय या संव्यवहार से संबंधित हो जिसमें ऐसा अंतरण या कब्जा अंतर्वलित हो जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति का नाम भी आता है जिसे यान इस प्रकार बेचा गया है या उसका कब्जा अंतरित किया गया है, जो नियंत्रक उचित समझे।

अनुसूची

[खंड 2(1) देखिए]

यान का विवरण	विनिर्माता का नाम
1. "मारुति 800 एच सी"	मारुति उद्योग लिमिटेड, जीवन प्रकाश (11वां तल), 25, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001।

[फा.सं. 1(5)/85-ए ई आई-(1)]

ए.वी. गणेशन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 1st September, 1987

ORDER

S.O. 806(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary so to do for securing the equitable distribution and availability at fair price of passenger cars fitted with handicapped control gadgets;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18-G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

(1) Short title, extent and commencement.—(I) This order may be called the Passenger Cars fitted with Handicapped Control Gadgets (Restriction on Re-sale) Order, 1987.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the 1st day of September, 1987.

(2) Definitions.—In this order, unless the context other wise requires,—

(i) "Controller" means a person appointed as such by the State Government or Central Government as the case may be for the purpose of this order;

(ii) "Handicapped Control gadgets" means automatic transmission and gadgets intented for use by disabled persons and exempted from the duty, including additional duty of customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) by a general or specific order under Sub-Section (1) of Section 25 of the customs Act, 1962 (52 of 1962);

(iii) "Passenger Cars fitted with Handicapped Control Gadgets" means a motor vehicle of any description specified in column (1) of the Schedule, manufactured or assembled in India, or manufactured in India from components imported into India or partly imported and partly manufactured in India and includes every such description of motor vehicle or components thereof;

(iv) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order.

(v) "State Government", in relation to a Union Territory, means the Administrator of the Union Territory.

3. Restriction on Re-Sale.—(1) On and from the commencement of this order, no person shall, before the expiry of a period of three years from the date when a passenger car fitted with handicapped

control gadgets was first purchased as a new passenger car fitted with Handicapped control gadgets, whether purchased by him or by any person on his behalf and whether purchased before or after commencement of this order, sell or offer to sell, or enter into any transaction involving the transfer of possession of the passenger car fitted with Handicapped control gadgets to any other person except under and in accordance with the terms and conditions of a permit, in writing, from the Controller, who shall, where a permit is not granted, communicate to the person concerned the reasons for such refusal.

(2) In granting or refusing a permit under sub-clasue (1), the Controller shall have regard to the circumstances relating to the proposed sale or transaction, as the case may be, and to the purpose of this order.

(3) Any person aggrieved by the refusal of the Controller to grant a permit under sub-clause (1) may, within thirty days from the date on which such refusal is communicated to him, prefer an appeal to the State Government.

Provided that the State Government may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period aforesaid.

(4) Power to obtain Information.—If the Controller has reason to believe that a new passenger car fitted with handicapped control gadgets has been sold or its possession has been transferred before the expiry of the period of three years referred to in sub-clause (1) of clause 3, he may require the person, who has so sold or transferred its possession, to furnish the particulars relating to such sale or transaction involving such transfer of possession as the Controller may deem fit including the name of the person to whom the vehicle was so sold or its possession so transferred.

SCHEDULE

[See Clause 2(i)]

Description of the Vehicle	Name of the Manufacturer
1	2
'Maruti 800 HC'	Maruti Udyog Limited, Jeevan Prakash (11th Floor), 25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.

[F.No. 1(5)/85-AEI-(1)]
A.V.GANESAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987